18 रा/निग0/सीधी/2017/4746

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर,

सर्किट कोर्ट–रीवा (म0प्र0)

Rs 30/-

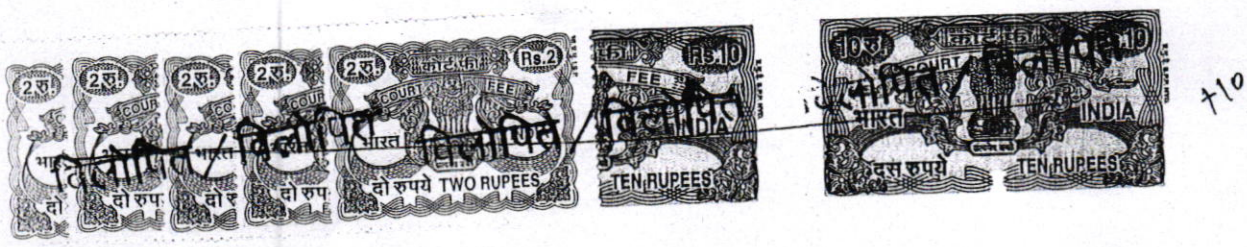

विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित / विलोपित +10

अधि0 श्री मनोज कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 27.11.17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

राजस्व प्रकरण क्रमांक–...

1. **कमलेश्वर प्रसाद गुप्ता पिता** श्री रामप्रसाद गुप्ता, उम्र–52वर्ष, पेशा–खेती,
2. राजबहादुर गुप्ता पिता श्री रामप्रसाद गुप्ता, उम्र–40वर्ष, पेशा–खेती,

सभी निवासी ग्राम–कोतरकला, तहसील–गोपदबनास, थाना–कोतवाली सीधी, जिला–सीधी (म0प्र0) .... **आवेदकगण/निगरानीकर्तागण**

बनाम्

1. शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर महोदय सीधी (म0प्र0)
2. **दीपक कुमार गुप्ता** तनय श्री रामसरन गुप्ता, उम्र–30वर्ष, पेशा–व्यवसाय, मेसर्स गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स जमोड़ी कला नियर तोरणद्वार सीधी, **निवासी** ग्राम–अमहा, वार्ड क्रमांक–22, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0)

.... **अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध राजस्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार चुरहट, तहसील–चुरहट, जिला–सीधी (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्रमांक–23/अ–5/2016–17 कमलेश्वर प्रसाद गुप्ता वगैरह बनाम् म0प्र0 शासन में पारित आदेश दिनांक–06.10.2017

-2- कमलेश्वर प्रसाद गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/4746

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना गया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 23 अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी ने प्रकरण क्रमांक 23 अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2017 से ग्राम कोतर कलॉ की आराजी क्रमांक 5/2/मि. 13 के जुज रकबा 0.40 एकड़ , विनिमय आराजी क्रमांक 110/1 मि. 2 रकबा 0.16 है. का नक्शा तरमीम करना अस्वीकार किया है एंव नक्शा तरमीम प्रस्ताव विधिसंगत होना नहीं माना है। जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 के अंतर्गत तहसीलदार व्दारा पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी।	

म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।

आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य